म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

कमांक/मंडी/प्रांगण/22/1/ब/पार्ट/265 भोपाल,दिनांक 12 /4/16

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि मंडी प्रांगण में निर्मित संरचना (गोदाम, शापकम गोदाम, सेण्डीशाप, केन्टीन) की नीलामी कार्यवाही म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 के नियम 10 (6) अनुसार तीन बार नीलामी कार्यवाही करने के उपरांत भी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा नीलामी में भाग नही लेने से आवंटन नियम, 2009 के नियम 10 (7) (एक) (ख) तहत किराये के आधार पर आवंटन के लिये प्रकरण मुख्यालय को भेजे जाते है।

म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 के विनियम 10 (7) (एक) यदि तीसरी बार नीलाम/प्रस्थापनाओं के आमंत्रण में, उच्चतम बोली/प्रस्थापना की 'अपसेट कीमत' से कम हो तो समिति निम्नांकित विकल्पों में से एक विकल्प के अनुसार कार्यवाही करेगी, अर्थात् :–

(क) यदि उच्चतम बोली/प्राप्त प्रस्थापना 'अपसेट कीमत' से कम है किन्तु 25 प्रतिशत के भीतर है तो उसे स्वीकार करने की अनुमति देने के लिये प्रबंध संचालक को सिफारिश करना, या

(ख) संरचना को किराये के आधार पर (केवल विद्यमान संरचना के मामले में) आवंटन के लिये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये मंडी समिति के सचिव को निर्देशित करना।

अतः उपरोक्त विहित प्रावधान के तहत् मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण की निर्मित संरचनाओं के आवंटन की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.कमांक/मंडी/प्रांगण/22/1/ब/पार्ट/266 भोपाल,दिनांक 12/4/16
प्रतिलिपि :–

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)
2. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति..............................जिला.......................... (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल